

**दहेज हत्या का अपराध कारित करने के आरोप में 01 नफर अभियुक्त व 01
अभियुक्ता गिरफ्तार**

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा महिला संबंधी अपराधों पर अंकुश लगाने एवं अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, पुलिस अधीक्षक दक्षिणी के मार्गदर्शन में, क्षेत्राधिकारी गोला के पर्यवेक्षण में व थानाध्यक्ष बड़हलगंज के नेतृत्व में उ०नि० विनय पाण्डेय मय पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु०अ०सं० 364/2025 धारा 85,80(2) भा०न्या०सं० व 3/4 डीपी एक्ट से संबंधित अभियुक्त 1. सुभाष व अभियुक्ता 2. पार्वती को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

अभियुक्तों द्वारा वादी की पुत्री को दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा था तथा दिनांक 03.06.2025 गला दबा कर हत्या कर दिया गया जिसके संबंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर मुकदमा उपरोक्त पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त/अभियुक्ता का नाम व पता-

1. सुभाष गौड़ पुत्र केदारनाथ निवासी नवलपुर थाना बड़हलगंज जनपद गोरखपुर
2. पार्वती पत्नी सुभाष गौड़ निवासी नवलपुर थाना बड़हलगंज जनपद गोरखपुर

गिरफ्तारी के अभियोग का विवरण-

मु०अ०सं० 403/2025 धारा 85,80(2) भा०न्या०सं० व 3/4 डी०पी० एक्ट थाना बड़हलगंज जनपद गोरखपुर

गिरफ्तारी की टीम-

1. उ०नि० विनय पाण्डेय थाना बड़हलगंज जनपद गोरखपुर
2. कां० अमलेश यादव थाना बड़हलगंज जनपद गोरखपुर